

राजस्थान-सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/गुप-5/जीकेएन/उपापन 2015-18 जयपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद समस्त, राजस्थान।

विषय:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 की पालना के सम्बन्ध में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सहित निर्माण कार्य हेतु सम्बन्धित संकर्मों की आनुषंगिक सामग्री के उपापन बाबत मार्गदर्शक सिद्धान्त।

प्रसंग:- विभागीय सम संख्यक पत्र दिनांक 13 अगस्त, 2016, दिनांक 13.4.17 27.3.18 एवं 12.6.18 तथा राजस्थान राज पत्र विशेषांक में जारी अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2021

विषयान्तर्गत विभागीय योजनाओं में सम्पादित कराये जाने वाले विकास/निर्माण कार्य हेतु सम्बन्धित संकर्मों की आनुषंगिक सामग्री का उपापन अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के तहत सम्पादित की जानी है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 के तहत "सीमित बोली" प्रक्रिया के प्रावधान वर्णित है। उक्तानुसार नियम 16 के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और/या कार्यकारी एजेंसियों के रूप में उनकी सम्बन्धित समितियां को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु राजस्थान राज पत्र की प्रासंगिक अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 16 मार्च, 2016, भाग- 6 (ग) ग्राम पंचायत सम्बन्धी विज्ञप्तियां आदि। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अनुभाग-5 अधिसूचना दिनांक 2016 जो कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-एफ-1(8)एफडी/ जीएफएण्डएआर/ 2011 दिनांक 4 सितम्बर, 2013 की संशोधित अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2016 के द्वारा क्रम संख्या- 44 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर किये गये संशोधन के क्रम में विभागीय पत्र एफ 27(263) ग्रावि/गुप-5/जीकेएन/उपापन 2015-18 जयपुर दिनांक 13.8.2016 द्वारा मार्गदर्शन सिद्धान्त एवं विभागीय पत्र दिनांक 13.4.17 27.3.18, 12.6.18, द्वारा संशोधित निर्देश जारी किये गये थे।

इस क्रम में राजस्थान राज पत्र विशेषांक में जारी अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-

G.S.R. 349 - In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in public procurement Rules, 2013, namely -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Third Amendment) Rules 2021  
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. Amendment of rule 16 - In proviso to sub-rule (1) of rule 16 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 -
  - (i) for the existing expression "five lakh", the expression "Six lakh" shall be substituted; and
  - (ii) for the existing expression "fifty lakh", the expression "Sixty lakh" shall be substituted;

उक्तानुसार जारी मार्गदर्शन सिद्धांत एवं संशोधित निर्देशों को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित (Withdrawn) किया जाता है। उक्त क्रम में राजस्थान राज पत्र विशेषांक में जारी अधिसूचना दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 की पालना में पंचायती राज संस्था या उसकी समिति द्वारा उपापन कार्यवाही सम्पादन में निम्न सामान्य शर्तों की भी पालना सुनिश्चित की जाये :-

1. किसी पंचायतीराज संस्था के द्वारा सामग्री आपूर्ति के लिए एक बारीय वार्षिक टेंडर किया जाता है तो वह संस्था सीमित निविदा के माध्यम से उस वित्तीय वर्ष में सामग्री आपूर्ति तो नहीं ले सकेगी, लेकिन सीमित निविदा के माध्यम से संकर्म निविदा (पर्क टेंडर) करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी। पंचायतीराज संस्थाएं सीमित निविदा के माध्यम से सामग्री आपूर्ति एवं संकर्म निविदा (वर्क्स एण्ड मेटेरियल सप्लाइ टेंडर) निर्धारित राशि 6.00 लाख (अधिकतम सीमा 60 लाख रुपये तक) करने के लिए वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 1.10.21 अनुसार कर सकती है।  
इसी क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि महात्मा गांधी नरगा को छोड़ कर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं अंतर्गत स्वीकृत 6.00 लाख रुपये से अधिक लागत के समस्त कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की पालना कर आवश्यक रूप से सम्पूर्ण कार्य (श्रम एवं सामग्री सहित) संकर्म निविदा (वर्क्स टेंडर) कर सम्पादित कराये जायेंगे।
2. राशि रु. 6.00 लाख तक की लागत के कार्यों हेतु आनुषांगिक सामग्री खरीद के लिए आपूर्तिकर्ता के चिन्हीकरण हेतु कम से कम 3 योग्यताधारी आपूर्तिकर्ताओं से ग्राम पंचायत स्तरीय कय समिति द्वारा बाजार दरों के सर्वे के आधार पर दर प्रस्ताव प्राप्त किये जाकर उपापन किया जाएगा।
3. दर प्रस्ताव आमन्त्रित करने हेतु प्रस्ताव रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/ डाक से ही भेजा जाना अनिवार्य होगा एवं इसकी एक प्रति सम्बन्धित पंचायत समिति/जिला परिषद को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित कर पंचायत के नोटिस बोर्ड, अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी इनकी प्रति घस्या करेगी। राशि रु. 1.00 लाख या इससे अधिक उपापन होने की स्थिति में संस्था द्वारा दर आमंत्रण प्रस्ताव एवं आपूर्ति आदेश "राज्य लोक उपापन पोर्टल" ([www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in)) पर भी प्रदर्शित करेगी।
4. आनुषांगिक सामग्री आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता के पास कम से कम 1 वर्ष का सामग्री आपूर्ति का अनुभव होना अनिवार्य है। दर प्रस्ताव के साथ 1 वित्तीय वर्ष पूर्व में जारी स्थाई TIN No., PAN no, Service Tax number. (As applicable) की प्रति एवं गत 1 वर्ष की दाखिल रिटर्न (जो कि कम से कम उपापन को जाने वाली सामग्री की लागत से 3 गुणा से अधिक हो) की प्रति एवं कर चुकता प्रमाण-पत्र की प्रति वांछित अनुभव होने की पुष्टि हेतु प्राप्त की जायेगी।
5. आपूर्तिकर्ता किसी भी राजकीय संस्थान/उपक्रमों से बोली लगाने से विवर्जित/ब्लैकलिस्टेड नहीं हो।
6. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी एक आपूर्तिकर्ता से रु. 25 लाख से अधिक राशि का उपापन नहीं किया जावे।
7. उक्तानुसार शर्त संख्या- 4, 5 एवं 6 की पालना के क्रम में ग्राम पंचायतवार आपूर्तिकर्ताओं का सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा सत्यापन उपरान्त सूचीबद्ध किया जावे। यदि पंचायती राज संस्था द्वारा बिना सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ता से सामग्री आपूर्ति की जानी आवश्यक है तो सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को सम्बन्धित पंचायत समिति में सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ पंचायत समिति से सूचीबद्ध कराने के उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जावे, अर्थात् जो आपूर्तिकर्ता पंचायत समिति में सूचीबद्ध नहीं है, से आनुषांगिक सामग्री का उपापन नहीं किया जा सकेगा। इस क्रम में विभागीय "ई - पंचायत" पोर्टल पर आपूर्तिकर्ता का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराने के क्रम में आपूर्तिकर्ता का जनआधार कार्ड नम्बर आवश्यक रूप से लिया जावे।
8. किसी एक कार्य के लिए उपापन की गई सामग्री का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। उदाहरण के रूप में यदि ग्राम पंचायत द्वारा एक आंगनबाडी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है, तो उक्त संशोधन के तहत निर्माण कार्य हेतु आवश्यक श्रम, सामग्री का उपापन किया जा सकेगा एवं उक्त आंगनबाडी केन्द्र हेतु उपापन की गई सामग्री का उपयोग किसी अन्य निर्माण कार्य में नहीं किया जा सकेगा।

9. निर्धारित मानक स्तर की सामग्री का ही उपापन किया जावे। इस काम में सीमेन्ट एवं लोहा सम्बन्धित विनिर्माता/उत्पादनकर्ता कम्पनी के अधिकृत विक्रेता/अधिकृत सब विक्रेता/हॉल सेलर/ कम्पनी/ कम्पनी आउट लेट से ही कय की जा सकेगी। इस काम में बीएसआर में सीमेन्ट एवं लोहा के आईटम हेतु राज्य में एक समान दर प्रभावी करने की कार्यवाही की जा रही है।
10. उक्तानुसार उपापन की जा रही सामग्री की प्राप्त दरों पर सामग्री उपापन से पूर्व, यदि ग्राम पंचायत द्वारा 6.00 लाख से अधिक लागत के किसी अन्य कार्य हेतु अन्य उपापन पद्धति से सामग्री का उपापन किया जा रहा है तो उसकी दरों को एवं प्रचलित बीएसआर दरों को भी दृष्टिगत रखा जाकर सामग्री का उपापन किया जावे।
11. पंचायतराज संस्थाएं या कार्यकारी एजेंसियों के रूप में उनकी सम्बन्धित समितियां द्वारा कराये जाने वाले कार्यों हेतु प्रत्येक कार्यवार पत्रावली संधारित की जावेगी।
12. वित्त विभाग की प्रासांगिक अधिसूचना के काम में उक्तानुसार पंचायतीराज संस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उक्तानुसार सामग्री उपापन की निर्धारित अधिकतम सीमा राशि रु. 60.00 लाख तक की पालना कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित पंचायत समिति का होगा, अर्थात् एक वित्तीय वर्ष में रु. 6.00 लाख तक की लागत के कार्यों की अधिकतम सीमा राशि रु. 60.00 लाख के उपरान्त सम्पादित कराये जाने वाले सभी कार्यों के लिए उक्त प्रक्रिया लागू नहीं होगी।
13. उपरोक्त प्रक्रिया वर्णित स्रोतों/बोली लगाने वालों के प्रवर्ग से उपापन वित्तीय शक्तियों की प्रत्यायोजना और अपेक्षित बजट प्रावधान की उपलब्धता के अध्यधीन होगा।
14. पंचायत समिति/जिला परिषद/या कार्यकारी एजेंसियों के रूप में उनकी सम्बन्धित समितियों भी उक्त प्रक्रियानुसार ही वित्त विभाग की प्रासांगिक अधिसूचना अनुसार अनुमत सीमा तक के कार्यों के लिए आवश्यक आनुषांगिक सामग्री की उक्तानुसार आनुषांगिक सामग्री का कय/उपापन कर सकेगी।
15. उपापन संस्था उपापन की विषय वस्तुओं के लिए खुली प्रतियोगी बोली की रीति से भी उपापन करने के विकल्प को अंगीकृत कर सकेगी।

उपरोक्त प्रक्रिया RTTP Rules, 2013 के नियम 16 "सीमित निविदा" के तहत महात्मा गांधी नरेगा सहित सभी योजनान्तर्गत राशि रु. 6.00 लाख तक (श्रम सामग्री सहित) की लागत के सम्पादित कराये जाने वाले कार्यों पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम सीमा राशि रु. 60.00 लाख तक (श्रम सामग्री सहित) ही लागू होगी। राशि रु. 6.00 लाख से अधिक लागत (श्रम सामग्री सहित) के कार्यों हेतु सामग्री का कय/उपापन नियमानुसार "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013" में यथा विहित उचित प्रक्रिया एवं वित्त विभाग के निर्देश दिनांक 26.7.2016 के अनुसार 1 सितम्बर, 2016 से ई-उपापन (E-Procurement) प्रक्रिया को अपना कर ही सम्पादित किया जावेगा।

(पी.सी. किशन)

शासन सचिव, पंचायती राज

(के.के. पाठक)

शासन सचिव, ग्रामीण विकास